26.3.21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधि... / पदरिक्त है। कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8.6.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
8.6.21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 20.7.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
20.7.21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया। तहसीलदार माण्डल द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसे शा.प० किया गया। उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 29.7.21 को पेश हो।
29.7.21	... राजकीय कार्य से ... है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली ... 5.8.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
5.8.21	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 10.8.21 को पेश हो।
10.8.21	पत्रावली पेश हुई, ... उपस्थित, वकील प्रार्थी ने बहस ... पत्र में अंकित दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:20 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की बहस पर मनन किया, तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट व पैरोकार सरकार के जवाब का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम लेसवा परवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थी श्री ईकबाल मोहम्मद के नाम संयुक्त सह खातेदार हक से दर्ज रेकार्ड है, जिसकी ताईद प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2072-2075 से होती है, प्रस्तुत दस्तावेजो एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी का नाम ईकबाल मोहम्मद के बजाय ईकबाल हुसैन पुत्र ख्वाजु उर्फ ख्वाजा मोहम्मद छीपा नाम अंकित करवाना चाहता है जिसकी ताईद प्रस्तुत आधार कार्ड की प्रति फोटो, पेन कार्ड की फोटो प्रति सैकेण्डरी स्कूल की अंकतालिका की फोटो प्रति, जमाबंदी संवत 2076-2079 की फोटो प्रति आदि से होती है, उसी के अनुसार एंव सह खातेदारो की सहमति आदि से होती है, उक्तानुसार प्रार्थी का नाम ईकबाल मोहम्मद के बजाय ईकबाल हुसैन पुत्र ख्वाजु उर्फ ख्वाजा मोहम्मद छीपा अंकित कराना चाहता है, ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसवा परवार हल्का लेसवा तहसील-

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित खाता सं. 18 मे आराजी नं. 2918/1701 रकबा 10 बिस्वा एंव खाता सं. 49 मे आराजी नं. 1334/1 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नं. 1353 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नं. 1355 रकबा 1 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी का नाम ईकबाल मोहम्मद के बजाय ईकबाल हुसैन पुत्र खाजु उर्फ ख्वाजा मोहम्मद छीपा अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है उसी अनुसार भूमि मे प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:09:20 IST
Reason: SelfAttested